(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3349/दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-8-2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार मउगंज जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 88 अ-12/2011-12

हीरालाल पुत्र धर्मदास जायसवाल
ग्राम कुन्दनपुरवा तहसील मउगंज
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- सीताराम सोंधिया पुत्र रामकृपाल
ग्राम सुन्दरपुरवा तहसील मउगंज
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनीष श्रीवास्तव)
(अनावेदक-2 के अभिभाषक श्री रबिनंदन सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 5 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 88 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22-8-2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार मउगंज को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 69/2 रकबा 0.08 ए. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार मउगंज ने प्रकरण क्रमांक 88 अ 12/11-12 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक मउगंज तथा हलका पटवारी को सीमांकन के निर्देश

दिये। राजस्व निरीक्षक मउगंज एंव हलका पटवारी ने दिनांक 27-12-11 को मौके पर जाकर सीमांकन किया एंव तदाशय का सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सीमांकन पर अनावेदक कमांक-2 ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार मउगंज ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 22-8-12 पारित किया तथा निर्णीत किया कि आवेदित भूमि के संबंध में पूर्व में किए गए सीमांकन में तैयार की गई फील्ड बुक मौके की स्थिति के एंव बंदोवस्ती नक्शे के विपरीत तैयार की गई है एंव पूर्व का सीमांकन निरस्त नहीं होता है तब तक वर्तमान सीमांकन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तहसीलदार के इसी निर्णय के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के समर्थन में आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदक कं-2 के अभिभाषक के मौखिक तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी तर्को , अनावेदक क्र-2 के मौखिक तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 69/2 रकबा 0.08 ए. स्थित ग्राम कुन्दरपुरवा के सीमांकन की तहसीलदार मउगंज से प्रार्थना की है एंव इस भूमि का राजस्व निरीक्षक मउगंज एंव हलका पटवारी ने दिनांक 27-12-11 को मौके पर जाकर सीमांकन किया है। तहसीलदार व्दारा निर्णीत किया गया है कि एक वार राजस्व प्रकरण कमांक 27 अ 12/2001-02 से किये गये सीमांकन को दी गई अंतिमता का आदेश निरस्त नहीं होता है तब तक वर्तमान सीमांकन स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जबकि अनावेदक कमांक 2 व्दारा तहसीलदार मउगंज के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दिनांक 29-11-12 में अंकित अनुसार स्थिति इस प्रकार है :-

" **प्रकरण कमांक 27 अ 12/2001-02 व्दारा सीमांकन का अनुमोदन दिनांक 23-7-02 को किया जा चुका है। पूर्व में सीमांकन में भूमि नंबर 69/1 रास्ता के किनारे, व 69/1 के पूर्व तरफ 69/2 और 69/2 के पूर्व तरफ भूमि नंबर 70 दर्शित की गई जो ये तीनों बटा नंबर बंदोवस्त के समय से इसी प्रकार तरमीम है आशय यह भूमि आवेदक की भूमि नं0 69/2 व आपत्तिकर्ता की भूमि नं. 70 की सीमा सटी है, 69/2 की पूर्वी सीमा 70 के पश्चिमी सीमा से मिलती है।** "

विचाराधीन निगरानी में देखना है कि यदि किसी भूमि के पूर्व में हुये सीमांकन

को राजस्व अधिकारी ने प्रशासकीय दायित्वाधीन स्वीकृत कर दिया है तब क्या ऐसी भूमि का सीमांकन दुवारा नहीं कराया जा सकता।

1. **अमरीवाई विरूद्व मांगीलाल 2005 रा.नि. 178 में बताया गया है कि धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही में सीमांकन के पूर्व से विनिश्चित मामले को आक्षेपित नहीं किया जा सकता। इसका यही अर्थ अनुमानित है कि पूर्व में किये गये सीमांकन का स्थायित्व नहीं है।**
2. **मतलूब उल हसन विरूद्व नागकुमार जैन 1974 रा.नि. 193 तथा परमानन्द बनाम रानीदेवी 1978 रा.नि. 393 में प्रतिपादित है कि संहिता की धारा 129 के अधीन पक्षकारों के हकों का विनिश्चय नहीं होता। केवल सीमांकन कार्य किया जा सकता है तथा सीमा चिन्ह निर्मित कराये जा सकते हैं। इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रशासकीय है ।**

स्पष्ट है कि पूर्व के प्रकरण कमांक 27 अ 12/2001-02 से अनावेदक कमांक 2 की भूमि के किये गये सीमांकन पर प्रशासकीय अधिकारों के अधीन पारित सीमांकन आदेश से यदि आवेदक सन्तुष्ट नहीं है तब उपचार पुनः सीमांकन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मउगंज जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 88 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22-8-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख से ईटीएसएम के माध्यम से सीमांकन कराते हुये हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर